International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 06, No. 01(V), January - March, 2024, pp. 33-40

स्वास्थ्य और मूलभूत अधिकार

पटेल प्रितीबहन ए*

सार

स्वास्थ्य का अधिकार सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की श्रेणी में से एक है राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक दायित्व स्वीकार करते हैं। हालाँकि, की राजनीति अधिकारों का मतलब यह है कि सामाजिक–आर्थिक अधिकारों को शायद ही कभी समान दर्जा दिया जाता है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी उदार स्वतंत्रताएँ। य स्वास्थ्य और मानवाधिकार मानव कल्याण को परिभाषित करने और आगे बढ़ाने के लिए पूरक दृ ष्टिकोण हैं। स्वास्थ्य और मानवाधिकारों की परस्पर निर्भरता के पर्याप्त वैचारिक और व्यावहारिक निहितार्थ हैं। इस अंतरसंबंध का पता लगाने के लिए अनुसंधान, शिक्षण, क्षेत्र अनुभव और वकालत की आवश्यकता है। यह कार्य स्वास्थ्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है, मानवाधिकार सोच और अभ्यास को समृद्ध करने में योगदान दे सकता है, और आधुनिक दुनिया में मानव कल्याण को समझने और आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते प्रदान कर सकता है।

शब्दकोशः *स्वास्थ्य, मानवाधिकार, जीवन का अधिकार, कानून।*

प्रस्तावना

स्वास्थ्य एक बहुत ही आकर्षक शब्द है. यह एक सापेक्ष अवधारणा है. स्वास्थ्य को धन माना गया है। हर कोई चाहता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वह जीवन में प्रगति कर सकता है। मानव शरीर के रखरखाव का अपना तंत्र है। शरीर में निरंतर समायोजन करने और उसे बनाए रखने की क्षमता होती है। इस तंत्र को "होमियोस्टैसिस" कहा जाता है। हालाँकि कुछ कारणों से यह तंत्र ख़राब हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।मनुष्य के रूप में, हमारा स्वास्थ्य और जिनकी हम परवाह करते हैं उनका स्वास्थ्य दैनिक चिंता का विषय है। हमारी उम्र, लिंग, सामाजिक–आर्थिक या जातीय पृष्ठभूमि के बावजूद, हम अपने स्वास्थ्य को अपनी सबसे बुनियादी और आवश्यक संपत्ति मानते हैं। दूसरी ओर, मेरा स्वास्थ्य हमें स्कूल जाने या काम पर जाने से, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने से या हमारे समुदाय की गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने से रोक सकता है। इसी तरह, हम कई त्याग करने को तैयार हैं, बशर्ते कि वह हमें और हमारे परिवारों को लंबे और स्वस्थ जीवन की गारंटी दे। संक्षेप में, जब हम कल्याण के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर स्वास्थ्य ही हमारे मन में होता है। स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मानवाधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन की हमारी समझ का एक बुनियादी हिस्सा है।

• मददनीश अध्यापक, महारानीश्री नंदकुंवरबा महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, गुजरात।

The paper was presented in the National Multidisciplinary Conference organised by Maharani Shree Nandkuverba Mahila College, Bhavnagar, Gujarat on 21st January, 2024.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 1946 के संविधान में व्यक्त किया गया था,

सभी के लिए स्वास्थ्य के बिना कोई सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय नहीं हो सकता. स्वास्थ्य का अधिकार यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर किसी को, हर जगह सस्ती, गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिल सके. यह लैंगिक समानता और भोजन, शिक्षा, आवास, स्वच्छ पानी और स्वच्छता के साथ अन्य मानवाधिकारों की प्राप्ति पर भी निर्भर है.

स्वास्थ्य के अधिकार का अर्थ

स्वास्थ्य के अधिकार का अर्थ है सभी स्थितियों में भेदभाव को समाप्त करना. इसका अर्थ है नस्लीय भेदभाव और संबंधित स्वास्थ्य असमानताओं को संबोधित करने में राष्ट्रीय और स्थानीय अधिकारियों का समर्थन करना. इस कार्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए मानव अधिकारों, इक्विटी, लैंगिक उत्तरदायी और इंटरकल्चरल दृष्टिकोणों को एकीकृत करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले समुदायों के पास व्यापक, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो. महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार. लिंग आधारित हिंसा हमेशा स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है और इससे महिलाओं और बच्चों के जीवन पर गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं

स्वास्थ्य का अधिकार एक समावेशी अधिकार है। हम अक्सर स्वास्थ्य के अधिकार को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और अस्पतालों के निर्माण से जोड़ते हैं। यह सही है, लेकिन स्वास्थ्य का अधिकार इससे भी आगे तक फैला हुआ है। इसमें कई प्रकार के कारक शामिल हैं जो हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, इन्हें "स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारक" कहती है। वे सम्मिलित करते हैं:

(१) सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त स्वच्छता (२) सुरक्षित भोजन (३) पर्याप्त पोषण और आवास (४) स्वस्थ कामकाजी और पर्यावरणीय स्थितियाँक्ष(५) स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और जानकारी (६) लैंगिक समानता

स्वास्थ्य के अधिकार में स्वतंत्रता निहित है। इन स्वतंत्रताओं में गैर–सहमति वाले चिकित्सा उपचार, जैसे चिकित्सा प्रयोगों और अनुसंधान या जबरन नसबंदी से मुक्त होने का अधिकार, और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।

स्वास्थ्य के अधिकार में कुछ अधिकार शामिल हैं।

- स्वास्थ्य सुरक्षा की एक ऐसी प्रणाली का अधिकार जो सभी को स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर का आनंद लेने के अवसर की समानता प्रदान करती है
- रोगों की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण का अधिकार; आवश्यक दवाओं तक पहुंच
- मातृ, शिशु और प्रजनन स्वास्थ्य
- बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक समान और समय पर पहुंच
- स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा एवं सूचना का प्रावधान
- राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में जनसंख्या की भागीदारी।

बिना किसी भेदभाव के सभी को स्वास्थ्य सेवाएँ, वस्तुएँ और सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। गैर–भेदभाव मानव अधिकारों में एक प्रमुख सिद्धांत है और स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के अधिकार के आनंद के लिए महत्वपूर्ण है।

- सभी सेवाएँ, वस्तुएँ और सुविधाएँ उपलब्ध, सुलभ, स्वीकार्य और अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।
- किसी राज्य के भीतर कार्यशील सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सामान और सेवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए।
- उन्हें भौतिक रूप से (बच्चों, किशोरों, वृद्ध व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों सहित आबादी के सभी वर्गों के लिए सुरक्षित पहुंच में) साथ ही आर्थिक रूप से और गैर–भेदभाव के आधार पर सुलभ होना चाहिए। अभिगम्यता का तात्पर्य एक सुलभ प्रारूप में (विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए) स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार भी है, लेकिन व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा को गोपनीय रूप से रखने के अधिकार को ख़राब नहीं करता है।
- सुविधाओं, वस्तुओं और सेवाओं को चिकित्सा नैतिकता का भी सम्मान करना चाहिए, और लिंग–संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्हें चिकित्सकीय और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए।
- अंत में, उन्हें वैज्ञानिक और चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त और अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। इसके लिए, विशेष रूप से, प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों, वैज्ञानिक रूप से अनुमोदित और अप्रयुक्त दवाओं और अस्पताल उपकरण, पर्याप्त स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की आवश्यकता होती है।

मानवाधिकार क्या हैं?

मानवाधिकार अधिकारों का एक समूह है जिसका प्रत्येक मनुष्य हकदार है। ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य को विरासत में मिले हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति से संबंधित हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, मानवाधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे वास्तव में दुनिया में अच्छे जीवन स्तर के लिए आवश्यक हैं।

मानव अधिकारों को मानव के व्यवहार संबंधी लक्षणों के कुछ मानकों के अनुसार नैतिक मानदंडों या सिद्धांतों के रूप में समझाया जा सकता है और जो नगरपालिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों में विनियमित और संरक्षित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने रंग, नस्ल, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा या अन्य आधारों के आधार पर भेदभाव के बिना इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए है।

संयुक्त राष्ट्र ने नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की व्यापक श्रेणियों के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाने वाले विभिन्न मानवाधिकारों की एक श्रृंखला को स्वीकार किया है। यह संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करे।

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास केवल इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं, उन्हें किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

वे जीवन के मौलिक अधिकार जैसे भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार से लेकर अन्य अधिकारों के साथ जीवन को जीने लायक बनाते हैं।

अनुसंधान उद्देश्य

- भारत में लोगों के स्वास्थय विषयक अधिकारों का अध्ययन करना।
- स्वास्थ्य अधिकारों के वास्तविक अनुप्रयोग की जांच करना।

अनुसंधान प्रकार

प्रस्तुत शोध अध्ययन का शोध प्रकार गुणात्मक शोध है।

- **माहिती के स्रोत**

डेटा संग्रह के दो मुख्य स्रोत हैं। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। अन्य उद्देश्यों के लिए एकत्र की गई लेकिन अनुसंधान उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी को द्वितीयक डेटा कहा जाता है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर करता है। जिसके लिए दस्तावेजी स्रोतों के रूप में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध निबंधों, इंटरनेट, लेखों का सहारा लिया गया है।

- **अनुसंधान क्रियाविधि**

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक, आलोचनात्मक अध्ययन विधियों पर आधारित है। इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा एक मानव अधिकार के बारे में जानना है।

संदर्भ साहित्य

डॉ. वर्ना कुमारी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (आईजेसीआरटी) एक इंटरनेशनल ओपन एक्सेस, पीयर–रिव्यू, रेफरीड जर्नल २०२२ एलयूसीआरटी (खंड १८, अंक २ फरवरी २०२२ ैच्छ : 2320–2882) मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य का अधिकारः एक संक्षिप्त दृष्टिकोण"

स्वास्थ्य को सच्चा धन कहा जाता है और स्वस्थ शरीर सभी मानवीय कार्यों का आधार है। प्राकृतिक, मानसिक और मानवीय अधिकार के रूप में जीवन का अधिकार दुनिया में हर सकारात्मक कानूनी का एक अभिन्न अंग बन गया है। वास्तव में, जीवन का अधिकार व्यक्ति के स्वास्थ्य के बिना अधूरा है। इस अधिकार को विभिन्न घोषणाओं और अनुबंधों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से विभिन्न विधायी प्रावधानों द्वारा मान्यता दी गई है, इन सभी तथ्यों के बावजूद, भारत जिन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा है, वे अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हैं। यह अभी भी संक्रामक रोगों के खतरनाक खतरों से जूझ रहा है। एएलडीएस, कैंसर। मधुमेह हृदय रोग जो लुहा में व्यापक गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण और भी बढ़ गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद का 1.5þ स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च किया जाता है, जिसे भारत में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए आने वाले वर्षों में बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध सहित कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों में निहित है। इसमें स्वतंत्रता और अधिकार शामिल हैं। स्वतंत्रता में किसी के स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार (उदाहरण के लिए, यौन और प्रजनन अधिकार) और हस्तक्षेप से मुक्त होना (उदाहरण के लिए, यातना और गैर–सहमति चिकित्सा उपचार और प्रयोग से मुक्त, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक) शामिल है। अधिकारों में बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने का अधिकार शामिल है।

मानवाधिकारों की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ्य जीवन और स्वास्थ्य जीने का अधिकार है, इसलिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित कई कार्यक्रम लागू किए हैं, जिसके अनुसार राज्य के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य प्राप्त हो सके, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। सेवाएँ और शांतिपूर्ण जीवन जिएँ। राज्य सरकार इन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाती है। जिसमें मुख्य रूप से चार महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वित हैं। (1) सार्वजनिक स्वास्थ्य (2) चिकित्सा सेवाएँ (3) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान और (4) परिवार कल्याण कार्यक्रम। सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण का रखरखाव एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दा है जिस पर विचार किया जा रहा है।

मानवाधिकारों की दृष्टि से स्वास्थ्य क्षेत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जाएगा। (1) बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं (2) टीकाकरण कार्यक्रम (3) विशेष रोग नियंत्रण (4) बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर (आईएमआर/एमएमआर) का अध्ययन संस्थागत प्रसव अनुपात और सुविधाएं और आगे विचार के लिए, तेजी से संदेश और हेरफेर का वर्तमान युग (5) ट्रॉमा सेंटर ईएमएस सेवाएं (ऊपर 108 वें स्थान पर) मानवाधिकार प्रचार गतिविधियों के प्रति उचित दिशा के लिए "सक्रिय" पाई गई हैं।

स्वास्थ्य के लिए मानवाधिकार–आधारित दृष्टिकोण देशों को अधिकारों के अनुरूप, प्रभावी, लिंग परिवर्तनकारी, एकीकृत, जवाबदेह स्वास्थ्य प्रणालियों को विकसित करने और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध करता है जो पानी और स्वच्छता तक पहुंच जैसे स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों में सुधार करते हैं। इसका मतलब है कि देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून और स्वास्थ्य नीतियां और कार्यक्रम मानवाधिकारों का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। अनुसंधान से पता चलता है कि मानवाधिकार दायित्वों के अनुपालन के लिए सक्रिय उपाय देशों को वास्तविक समानता में सुधार करने और झटके के प्रति लचीलापन बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए मानवाधिकार ढांचे को लागू करने से हमें यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि भेदभाव और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की क्मी सहित विभिन्न प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघनों से मातृ मृत्यु और रुग्णता को कैसे रोका जा सकता है।

"स्वास्थ्य सेवा एक मानव अधिकार है"

स्वास्थ्य के अधिकार के एक सलाहकार का संकल्पना का एक वैकल्पिक तरीका "स्वास्थ्य देखभाल का मानव अधिकार" है। विशेष रूप से, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के मरीज़ों और प्रदाताओं दोनों के अधिकार शामिल हैं, बाद में राज्यों का है। स्वास्थ्य देखभाल वितरण में मरीजों के अधिकार शामिल हैं। गोपनीयता, सूचना, जीवन और गुणवत्तापूर्ण देखभाल का अधिकार, साथ ही भेदभाव,यातनाऔरक्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचारमुक्ति से हाशिए पर रहने वाले ग्रुप, जैसे कि प्रवासीऔर गृहस्थ व्यक्ति, नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यक,महिलाएं,यौन अल्पसंख्यकऔर अघोषितों के साथ रहने वाले लोग, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रतिसंवेदनशील हैं। उदाहरण के लिए, नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों को खराब गुणवत्ता वाले वार्डों में विभाजित किया जा सकता है। विकलांग लोगों को छोड़ दिया जा सकता है और उन्हें दी जाने वाली दवाएं दी जा सकती हैं, मित्रवत दवाओं का सेवन करने वालों को नशे के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इलाज के लिए महिलाओं को योनि परीक्षण के लिए मजबूर किया जा सकता है और जीवन से इलाज के लिए मजबूर किया जा सकता है। –गर्भपात को बचाने के लिए, बदनाम समलैंगिक पुरुषों को दोषी ठहराए जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, और हाशिये पर रहने वाली दासता की महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को गाली दी जा सकती है।जबरन नसबंदी कीजा सकता है। मरीज़ों के अपराधियों का अपमान किया जाता है, और इंसानों और यातनाओं के अपराधों को छुपाया जाता है।

स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण

स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू हैं जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य आदि। स्वास्थ्य के अधिकार के लिए सरकार को पर्याप्त और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करना होगा। भारत में, जहां 6.7þ भारतीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, किफायती कीमतों पर पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना एक चुनौती है। भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रमों का प्रयोग किया है। इसने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देकर और खाद्यान्नों की खरीद और सार्वजनिक वितरण, रोजगार कार्यक्रमों आदि के माध्यम से क्षणिक खाद्य असुरक्षा पर काबू पाने के मामले में पहले ही पर्याप्त प्रगति की है। हालांकि, पुरानी गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी के बावजूद भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से में खाद्य असुरक्षा बनी हुई है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत, भारत में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है।

लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण है। भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जो सालाना करीब 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है। यह सबसे अधिक लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य में से एक है। हस्तक्षेप और 5 साल से कम उम्र में टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली मृत्यु दर में कमी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। यूआईपी के तहत, 12 रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण मुफ्त प्रदान किया

जा रहा हैः राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के खिलाफ – डिप्थीरिया, पर्टासिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के तपेदिक का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस बी और होमोफाइल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला मेनिनजाइटिस और निमोनिया। भारत सरकार ने जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कई पहल की हैं। ऐसा ही एक प्रयास आयुष मंत्रालय की स्थापना करना है। आयुष आयुर्वेद, योग और नेत्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है। आयुष मंत्रालय का गठन २०१४ में प्रचलित और प्रचलित इन भारतीय प्रणालियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से किया गया था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य की भूमिका को सूचित करना, मजबूत करना और प्राथमिकता देना है। सरकार स्वास्थ्य प्रणाली को उसके सभी आयामों में आकार देने में लगी है। इस नीति का लक्ष्य २०२५ तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को ६७.५þ से बढ़ाकर ७०þ करना है और मृत जन्म दर को 'एकल अंक' तक कम करना है। यह नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को एक समय में सकल घरेलू उत्पाद के २५þ तक बढ़ाने का संभावित लक्ष्य प्रस्तावित करती है। बाध्य तरीके से। नीति स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण को सशक्त बनाने के लिए सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान करती है, पहला, स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम, तीसरा, तंबाकू, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन को संबोधित करना, चौथाः यात्री सुरक्षा– रेल सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकना, पांचवां; निर्भया नारी–लिंग हिंसा के खिलाफ कार्रवाई, छठा, कार्यस्थल में तनाव कम करना और बेहतर सुरक्षा, सातवां; इनडोर और आउटडोर वायु प्रदूषण को कम करना। नीति स्कूलों में स्वच्छता और सुरक्षित स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की साइट के रूप में कार्य करके स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक हिस्सा शामिल करके स्कूल स्वास्थ्य में निवेश और कार्रवाई पर अधिक जोर देती है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सरकार की एक योजना है, जो देश के कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है। यह योजना सितंबर २०१८ में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य १० करोड़ परिवारों को चिकित्सा उपचार के लिए प्रति वर्ष ५ लाख लाख रुपये का कवर प्रदान करना है, जो कि सूचीबद्ध अस्पतालों, सार्वजनिक और निजी, कैशलेस भुगतान और पेपरलेस रिकॉर्डकीपिंग की पेशकश करता है।

क़ानून

भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी संख्या में कानून हैं। ये कानून समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पारित किए गए हैं। वर्तमान में भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात और नैदानिक अनुसंधान को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम लागू हैं।

(१) संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम (२) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (३) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, २०१६ (४) नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम (५) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम और नियम (६) तम्बाकू कोनोल अधिनियम २००३, (७) महामारी रोग अधिनियम १८९७ (८) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, १९८७ (९) पर्यावरण अधिनियम और नियम (१०) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम और नियम (११) फार्मेसी अधिनियम, १९४८ (१२) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, १९९८ (१३) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० (१४) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४

न्यायिक परिप्रेक्ष्य

स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है जो अन्य मानवाधिकारों के प्रयोग के लिए अपरिहार्य है। प्रत्येक मनुष्य स्वास्थ्य या गरिमापूर्ण जीवन के उच्चतम प्राप्य मानक का आनंद लेने का हकदार है। एक प्रमुख चिकित्सा इतिहासकार, हेनरी सिगेरिस्ट का कहना है कि स्वास्थ्य वह है जिस पर मनुष्य का अधिकार है; जहां भी यह अवधारणा प्रचलित है, तार्किक अनुक्रम सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की सुरक्षा और बहाली है; चिकित्सा, शिक्षा

व्यापार की तरह, यह राज्य का एक सार्वजनिक कार्य बन जाता है, यह प्रत्येक व्यक्ति का भोजन के लिए मौलिक अधिकार है, जिसे फ्रांसिस मुलिन मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद २१ में दी गई व्याख्या के तहत आश्वासन दिया गया है। इसलिए, इसमें श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत की सुरक्षा, और बच्चों के दुर्व्यवहार की कम उम्र, बच्चों के विकास के लिए अवसर और सुविधाएं शामिल होनी चाहिए। स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थितियों, शैक्षिक सुविधाओं, काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत में। ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो किसी व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के लिए मौजूद होनी चाहिए और न तो केंद्र सरकार और न ही किसी राज्य सरकार को ऐसी कोई कार्रवाई करने का अधिकार है जो किसी व्यक्ति को इन बुनियादी आवश्यकताओं के आनंद से वंचित कर दे। जीवन की गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक सहवर्ती है। इसलिए इसकी मांग और आपूर्ति को केवल बाजार के अदृश्य हाथों पर नियंत्रित करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। राज्य को एक ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए जहां प्रत्येक नागरिक को भुगतान करने की क्षमता के बावजूद बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित हो।

जीवन की तंगी के अंदर स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है और स्वास्थ्य के अधिकार के अंदर ही किफायती इलाज का अधिकार भी शामिल है। राज्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उस पर एक सकारात्मक दायित्व भी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके नागरिकों के स्वास्थ्य की उचित सुरक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति में कहा है कि ''व्यक्तियों को उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस संकल्प के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे समाप्त करना होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि "लोगों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं एक कल्याणकारी युग में राज्य प्रशासन द्वारा शुरू की गई बाध्यताओं का एक अनिवार्य हिस्सा हैं"। सरकारी शासन सैनिटोरिया और फिटनेस स्वास्थ्य केंद्र चलाकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है जो उन सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। पंजाब राज्य बनाम राम लभार्या बग्गा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आसानी से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ और वे अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए। राज्य को इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए। राज्य कभी भी चिकित्सा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि यह अनुच्छेद २१ का उल्लंघन होगा।

निष्कर्ष

किसी व्यक्ति के सुखी और उत्पादक जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। यह न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने सभी संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम है। सर्वोत्तम जीवन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक। न्यायपालिका द्वारा व्यापक व्याख्या करके स्वास्थ्य के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सार्वभौमिक घोषणा के तहत स्वास्थ्य को पहली पीढ़ी का मानव अधिकार माना जाता है

विभिन्न कॉन्वेंट और सम्मेलनों में, राज्य ने अपने नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करने के लिए मान्यता दी है और प्रतिबद्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के अधिकार का दायरा व्यापक हुआ है। अब इसमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयाम भी शामिल हैं। भारत में स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा की आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए, आयुष मंत्रालय प्रचलित छह भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के विकास पर काम कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है, स्थानीय अप्रयुक्त आयुष चिकित्सा विज्ञान का उपयोग किया गया है, और विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कार्यबल और प्रबंधन सिद्धांत तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि करना है। 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत

मौजूदा 1.15þ से 2.5þ करना और व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70þ करना। इसके अलावा सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है जिसके तहत कम आय वाले लगभग 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं; हालाँकि आवश्यकता इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. vinash Kumar]ß Human right to health ßsatyam Law International] 2007] p 1
2. Beauchamps DE] ÞInjury] Community and the Republic] ÞLaw] Medicine and Health Care 17] no- 1 (Spring 1989) 42&49-
3. डॉ यतीश अग्रवाल, सब के लिए स्वास्थय, राजकमल प्रकाशन प्रा. लिमिटेड।
4. कालिंदी देशपांडे, हमारा स्वास्थय, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत।
5. डॉ. कमलेश कुमार शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान एवं – सार्वजनिक आरोग्य
6. डॉ. जागृति शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत।

❖◆❖